

1/2017

न्यायालय नायब तहसीलदार उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं

मु.न.	दायर दिनांक	अ. धा.	निर्णय दिनांक
1/2017	09.01.2017	91 एल.आर.एक्ट	11.02.2017

कार बनाम रामकुमार, जगदीश, गोपाल, ख्यालीराम पु० नानुराम जाति जाट निवासी ढाणी सोकड़ाला तन छापाली

11.02.2017 पत्रावली आज पेश हुई। अतिकमी अनुपस्थित । पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया । प्रकरण संक्षिप्त में निम्न प्रकार से है कि पटवारी हल्का छपोली नें सम्वत 2072 में इस आश्य की र्ति प्रस्तुत की कि मोजा ग्राम ढाणी सोकड़ाला के ख०न० 621 रकबा 13.51 है० किस्म गै०मु० पहाड़ में 130 वर्ग मीटर पर रामकुमार, जगदीश, गोपाल, ख्यालीराम पु० नानुराम जाति जाट निवासी ढाणी सोकड़ाला तन छापाली ने पक्के माकान, कच्चा छप्पर व पानी की टंकी बनाकर अतिकमण किया है। पटवारी हल्का छपोली के आधार पर प्रकरण रा० लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत दर्ज रजिस्टर किया गया अतिकमीगण को जरिये सम्मन नोटिस अ० धा० 91 एल.आर.एक्ट के तहत सम्मन नोटिस जारी की गये ।

पटवारी हल्का छपोली एवं पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड सबुत दस्तावेज का अवलोकन किया गया। अतिकमीगण द्वारा किया गया अतिकमण अवैध हैचूंकी भूमि किस्म गै०मु० पहाड़ हैं, अवैध एवं नियमों के तहत दर्ज नहीं होने के कारण अतिकमीगण द्वारा किया गया अतिकमण प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार लगातार दर्ज नहीं होने के कारण नियमन की तारीफ में नहीं आता है। अतः अतिकमीगण को रा० लैण्ड रेवन्यु एक्ट 1956 की धारा 91के तहत अतिकमी घोषित किया जाता है तथा जेर बहस रिपोर्ट पटवारी हल्का से बेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते है। तथा पटवारी हल्का को लिखा जावे की रिपोर्ट अतिकमण शुदा रकबे पर से भौतिक रूप से बेदखल कर बेदखली रिपोर्ट पेश करें। आदेश पारीत होने पर पृथक से इजराई रजिस्टर में पत्रावली दर्ज की जाकर भौतिक बेदखली रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त कर दर्ज करें ।

अतिकमीगण द्वारा गै०मु० पहाड़ भूमि पर अवैध रूप से अतिकमण कर लिये जाने के दण्ड पर लगान 0.93 रु का 50 गुणा तावान की कुल राशि 47/- अक्षरे सैतालिस रूपये मात्र बतौर अन्टी जुर्माना आरोपित किये जाते है। पटवारी हल्का एवं तहसील राजस्व लेखाकार को जमा सुली तथा बेदखली रिपोर्ट पेश करने हेतु लिखा जावे पत्रावली दर्ज फैंसल होकर नम्बर शुमार से पत्रावली बाद तकमील जाप्ता कार्यवाही संग्रह भण्डार हो। निर्णय मेरे द्वारा पृथक से टंकण कर आकर आज दिनांक 11.02.2017 को खुले न्यायालय मे पढ़कर सुनाया गया।

नायब तहसीलदार
उदयपुरवाटी

2016-17

रजिस्टर नं 13